

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



एफ 19 (1)()निमअ/साथिन बीमा योजना/2018

93616

जयपुर, दिनांक 7/8/18

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या- 71 के क्रम में साथिन मानदेयकर्मियों को सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना के लिये देय प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 से राज्य सरकार द्वारा वहन करने की सहमति वित्त विभाग के द्वारा आई.डी. संख्या- 161800732 दिनांक 22.06.2018 से प्रदान की गयी है।

अतः साथिन को सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना के लिये देय प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 से राज्य सरकार के द्वारा भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह आदेश जारी होने की दिनांक से तत्काल रूप से प्रभावी माने जावेंगे।

sd
(रोली सिंह)

प्रमुख शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

जयपुर, दिनांक 7/8/18

एफ 19 (1)()निमअ/साथिन बीमा योजना/2018

93617-766

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय(स्वतंत्र प्रभार)महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग (कार्यक्रम क्रियान्वयन), राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, (गुप-4) आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सहायक, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
16. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त।
18. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त।
19. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, समस्त।
20. लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.), म.अ. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(निशा मीणा)

आयुक्त

निदेशालय महिला अधिकारिता